प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 29 जनवरी, 2021

विषयः-प्रदेश की कारागारों में स्थापित चिकित्सालयों के लिए 10 हैवी ड्यूटी वांशिंग मशीन के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21029/आधु-2/05 जेल/2020, दिनांक-24.08.2020 एवं पत्र संख्या-31503/आधु-2/वाशिंग मशीन/2020, दिनांक-23.12.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में स्थापित चिकित्सालयों के लिए 10 हैवी ड्यूटी वांशिंग मशीन का क्रय जैम पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु रू0 120.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए लागत की शतप्रतिशत धनराशि रू0 1,20,00,000/- (रूपया एक करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेश दिनांक-23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उक्त के सम्बन्ध में की गयी निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) क्रय किये जाने वाली हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई/महानिरीक्षक, कारागार संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(4) हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के समक्ष कोई अन्य उपकरणों तथा मशीनों का क्रय न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि बचती हो तो, उसे राजकोष में जमा किया जायेगा।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14-कारागारों के लिए उपकरणों संयंत्रों वाहनों आदि की व्यवस्था-26-मशीन साज-सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/240/दस/2021, दिनांक-27 जनवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-09/2021/1119/22-4-2020, तद्दिनांकित -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in